बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

अधि0सं0: यो0स्था01/8–विविध–1/2012 /यो0वि0,पटना,दिनांक दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल **बिहार सांख्यिकी सेवा नियमावली, 2009 (समय–समय पर यथासंशोधित)** का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ–

(1) यह नियमावली "बिहार सांख्यिकी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021" कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. "बिहार सांख्यिकी सेवा नियमावली, 2009" (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–(5) के उपनियम–(vi) के बाद एक नया उपनियम जोड़ा जाना। उक्त नियमावली के नियम–5 के उपनियम–(vi) के बाद एक नया उपनियम–(vii) निम्नवत जोड़ा जायेगा–

"(vii) जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/सहायक निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु सैद्धांतिक परीक्षा (मुख्य परीक्षा) एवं मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार) में प्राप्त कुल अंको की अधिमानता 75 प्रतिशत एवं कार्य अनुभव की अधिमानता 25 प्रतिशत होगी। अंक का निर्धारण निम्नवत किया जायेगा –

(क) सैद्धांतिक परीक्षा (मुख्य परीक्षा) एवं मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार) में प्राप्त कुल अंको की अधिमानता –75 अंक

(ख) कार्य अनुभव की अधिमानता –25 अंक
(प्रत्येक पूर्ण कार्य वर्ष के लिए 05 अंक, अधिकतम 25 अंक)

टिप्पणी :– (क) सैद्धांतिक परीक्षा (मुख्य परीक्षा) एवं मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार) में प्राप्त कुल अधिमानता के अंक का निर्धारण निम्नांकित सूत्र द्वारा किया जायेगा :–

$$\text{अधिमानता अंक} = \frac{\text{मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों का योग x 75}}{\text{मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के कुल अंको का योग}}$$ "

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(बैधनाथ यादव)
सरकार के विशेष सचिव

4360

ज्ञापांकः योस्था01/8–विविध–1/2012 /यो0वि0,पटना,दिनांक 13 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव